भाग-III

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 अप्रैल, 2026

संख्या सा०का०नि० 5/संवि०/अनु० 309/2026.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अर्ध चिकित्सा तथा विविध पद राज्य (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अर्ध चिकित्सा तथा विविध पद राज्य (ग्रुप–ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अर्ध चिकित्सा तथा विविध पद राज्य (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1998 में, परिशिष्ट ख में, क्रम संख्या 8 के सामने, खाना 3 तथा 4 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

3	4
"(i) विज्ञान (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित) सहित 10+2; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से चिकित्सा प्रौद्योगिकी (ऑपरेशन थिएटर/एनेस्थीशिया) सहित विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.); तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;	**पदोन्नति द्वारा:–** (i) विज्ञान (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित) सहित 10+2; तथा (ii) किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्था में ऑपरेशन थिएटर में ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; **स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–** (i) विज्ञान (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित) सहित 10+2; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से चिकित्सा प्रौद्योगिकी (ऑपरेशन थिएटर/एनेस्थीशिया) सहित विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.); (iii) ऑपरेशन थिएटर सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (iv) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;";

डा० सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 17th April, 2026

No. G.S.R. 5/Const./Art. 309/2026.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department, Para-Medical and Miscellaneous, Posts (State Group 'C') Service Rules, 1998, namely :-

1. (1) These rules may be called the Haryana Health Department, Para-Medical and Miscellaneous, Posts (State Group 'C') Service (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Health Department, Para-Medical and Miscellaneous, Posts (State Group 'C') Service Rules, 1998, in appendix B, against serial number 8, under columns 3 and 4, for the existing items, the following items shall be substituted, namely :--

3	4
"(i) 10+2 with Science (Physics, Chemistry and Biology or Physics, Chemistry and Mathematics); (i) Bachelor of Science, (B.Sc.) in Medical Technology (Operation Theatre/ Anesthesia) from recognized institute/ university; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the Subject in Higher education.	**By Promotion-** (i) 10+2 with Science (Physics, Chemistry and Biology or Physics, Chemistry and Mathematics); and (ii) Experience of 5 years as Group-D employee in Operation Theatre of any Government health institution ; **By transfer or deputation-** (i) 10+2 with Science (Physics, Chemistry and Biology or Physics, Chemistry and Mathematics); (ii) Bachelor of Science, (B.Sc.) in Medical Technology (Operation Theatre/ Anesthesia) from recognized institute/ university; (iii) Two years' experience as Operation Theatre Assistant ; and (iv) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the Subject in Higher education.".

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Health Department.

12519—C.S.—H.G.P., Pkl.

भाग-III

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 अप्रैल, 2026

संख्या सा०का०नि० 6/संवि०/अनु० 309/2026.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—

(क) भेषजिक अधिकारी की दशा में,—

(i) 95 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ii) 5 प्रतिशत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा प्रयोगशाला तकनीशियन में से पदोन्नति द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क तथा ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	भेषजिक अधिकारी	1085	एफपीएल–6क, सैल–1=39,900/–रूपए

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	भेषजिक अधिकारी	(i) विज्ञान (भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान) के साथ 10+2; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मेसी में स्नातक (चार वर्षीय डिग्री) या पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक या हरियाणा राज्य द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से फार्मा डी (छह वर्षीय डिग्री);	पदोन्नति द्वारा— (i) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता या प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; (ii) विज्ञान (भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान) के साथ 10+2; (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मेसी में स्नातक (चार वर्षीय डिग्री) या पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक या हरियाणा राज्य द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से फार्मा डी (छह वर्षीय डिग्री);

		(iii) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 8) की धारा 31 (क) या 31 (ग) या 32 (क) के अधीन हरियाणा राज्य भेषजिक परिषद् से भेषजिक के रूप में पंजीकृत; तथा (iv) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;	(iv) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 8) की धारा 31(क) या 31 (ग) या 32 (क) के अधीन हरियाणा राज्य भेषजिक परिषद् से भेषजिक के रूप में पंजीकृत; तथा (v) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी। स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा– (i) विज्ञान (भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान) के साथ 10+2; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से फार्मेसी में स्नातक (चार वर्षीय डिग्री) या पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक या हरियाणा राज्य द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से फार्मा डी (छह वर्षीय डिग्री); (iii) फार्मेसी अधिकारी के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव; (iv) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 8) की धारा 31(क) या 31 (ग) या 32 (क) के अधीन हरियाणा राज्य भेषजिक परिषद् से भेषजिक के रूप में पंजीकृत; तथा (v) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।

टिप्पणः– उम्मीदवार, जिन्होंने अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 26/सवि0/अनु0 309/2021, दिनांक 17 दिसम्बर 2021 के जारी होने से पहले डी फार्मेसी पास किया हुआ है या डी फार्मेसी में दाखिला लिया हुआ है, भेषजिक अधिकारी के पद के लिए पात्र होंगे।''।

डा० सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 17th April, 2026

No. G.S.R. 6/Const./Art. 309/2026.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department Pharmacists (Group C) Service Rules, 1998, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Health Department Pharmacists (Group C) Service (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Health Department Pharmacists (Group C) Service Rules, 1998 (hereinafter called as the said rules), in rule 9, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Recruitment to the service shall be made,-

(a) in case of Pharmacy Officer,-

(i) 95% by direct recruitment, and

(ii) 5% by promotion from amongst Multi Purpose Health workers or Laboratory Technicians; or

(iii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India,".

3. In the said rules, for Appendices A and B, the following Appendices shall be substituted, namely:-

"Appendix A

(See rule 3)

Serial Number	Designation	Number of post	Scale of Pay
1	2	3	4
1.	Pharmacy Officer	1085	FPL-6A, Cell-1=Rs. 39,900/-

Appendix B

(See rule 7)

Serial Number	Designation of Post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment.	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than direct recruitment.
1	2	3	4
1.	Pharmacy Officer	(i) 10+2 with Science (Physics and Chemistry); (ii) Bachelor in Pharmacy (Four Years Degree course) from any recognized university/institute or Pharma D (Six Years Degree) from Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak or any other institution recognized by the State of Haryana; (iii) Registered as Pharmacist with the Haryana State Pharmacy Council under section 31(a) or 31(c) or 32(a) of the Pharmacy Act, 1948 (Central Act 8 of 1948) as applicable to the State of Haryana; and	By Promotion- (i) Five years experience as Multipurpose Health Worker or Laboratory Technician; (ii) 10+2 with Science (Physics and Chemistry); (iii) Bachelor in Pharmacy (Four Years Degree course) from any recognized university/institute or Pharma D (Six Years Degree) from Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak or any other institution recognized by the State of Haryana; (iv) Registered as a Pharmacist with the Haryana State Pharmacy Council under section 31(a) or 31(c) or 32(a)

		(iv) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.	of the Pharmacy Act, 1948 (Central Act 8 of 1948) as applicable to the State of Haryana; and (v) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education. By transfer or deputation- (i) 10+2 with Science (Physics and Chemistry); (ii) Bachelor in Pharmacy (Four Years Degree course) from any recognized university/institute or Pharma D (Six Years Degree) from Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak or any other institution recognized by the State of Haryana; (iii) Five years experience as a Pharmacy Officer; (iv) Registered as a Pharmacist with the Haryana State Pharmacy Council under section 31(a) or 31(c) or 32(a) of the Pharmacy Act, 1948 (Central Act 8 of 1948) as applicable to the State of Haryana; (v) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.

Note.- The candidates who have passed Diploma in Pharmacy or taken admission before the issuance of the notification No. G.S.R. 26/Const./Art.309/2021, dated the 17th December, 2021 shall be eligible for the post of Pharmacy Officer.”.

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Health Department.

12519—C.S.—H.G.P., Pkl.